झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या– वा0कर1/विविध/22/2010 – 3224 / राँची, दिनांक –12/10/12

प्रेषक,

मस्त राम मीणा,
सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(वैट ऑडिट)/(अपील),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– वाणिज्य–कर विभाग में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र के **Online Amendment Scheme** हेतु प्रकिया विहित करने के संबंध में।

प्रसंगः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम **3B** तथा केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम **14**।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 15.08.2012 के प्रभाव से वाणिज्य–कर विभाग में केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम 3 (ii), झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम **3A (vi)** के साथ पठित, के प्रावधान के अनुसार आयुक्त द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर, 1956 की धारा 7(1) के अधीन e-registration Scheme प्रारंभ की गयी है। उक्त सुविधा के विस्तारीकरण के क्रम में केन्द्रीय बिक्री कर (निबंधन तथा सकल आवर्त्त) नियमावली, 1957 के नियम 7(1) के अधीन प्रावधानित केन्द्रीय बिक्री कर निबंधन प्रमाण पत्र के संशोधन की प्रकिया को अनिवार्य रूप से ऑनलाईन किया जाता है। उक्त ऑनलाईन CST Amendment की सुविधा निम्न व्यवसायियों को उपलब्ध होगी :–

- ऐसे व्यवसायी जिन्होंने अपना CST Profile, Online Update कर नया CST Registration Certificate (Form B) प्राप्त किया है।
- ऐसे व्यवसायी जिन्होनें Online CST Registration Certificate (Form B) प्राप्त किया है।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन निर्गत निबंधन प्रमाण–पत्र के **Online Amendment** की प्रकिया निम्नवत् विहित की जाती है :–

1. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन निबंधन प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु इच्छुक व्यवसायी, विभागीय वेबसाईट **http://jharkhandcomtax.gov.in** के माध्यम से **Online Retrun Filing** हेतु प्राप्त ID/ Password की सहायता से Central Form Menu के sub-menu "CST Amendment" में **click** कर "Online Application Form for Amendment in CST Certificate" को **Open** कर सकते हैं।

2. व्यवसायी अपनी आवश्यकतानुसार संबंधित **Column** भरकर ऑनलाईन आवदेन पत्र समर्पित कर सकते हैं।

3. अंचल प्रभारी द्वारा ऐसे दाखिल/प्राप्त ऑन–लाईन आवेदन का सत्यापन (**verification**) किया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने 7 दिनों के अन्दर व्यवसायी को sms/e-mail द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक कागजातों सहित संबंधित अंचल प्रभारी के समक्ष उपस्थित होने की सूचना दी जाएगी।

   निर्धारित तिथि एवं समय पर व्यवसायी ऑनलाईन समर्पित आवेदन की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी, मूल निबंधन प्रमाण–पत्र तथा अन्य संबंधित कागजातों की मूल प्रति के साथ अंचल प्रभारी के समक्ष उपस्थित होंगे। आवेदक व्यवसायी के आवेदन तथा उपस्थापित कागजातों की जॉच कर संतुष्ट होने के उपरांत मूल निबंधन प्रमाण–पत्र को वापस लेकर, अंचल प्रभारी द्वारा **संशोधित केन्द्रीय निबंधन प्रमाण–पत्र (Amended CST Certificate- Form B)** निर्गत किया जाएगा।

   अंचल प्रभारी द्वारा उपस्थापित कागजातों से संतुष्ट नही होने की स्थिति में व्यवसायी के आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा जिसकी सूचना sms/e-mail द्वारा कारण सहित आवेदक व्यवसायी को दी जाएगी।

4. ऑन–लाईन आवेदन तथा आवश्यक कागजात समर्पित करने के 10 दिनों के भीतर **संशोधित केन्द्रीय निबंधन प्रमाण पत्र** निर्गत करना आवश्यक है।
5. विभागीय वेबसाईट http://jharkhandcomtax.gov.in पर CST Amendment करने संबंधित पूरी प्रकिया **"User Manual for Amendment in CST Registration Certificate"** के रूप में उपलब्ध है, जिसे Download किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

10.x.12

(मस्त राम मीणा)
सचिव–सह–आयुक्त।